

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 881 / 2024


दिनांक : 06.03.2024

श्री विक्रम चौधरी (RJ01029), विशिष्ट न्यायाधीश, आवश्यक वस्तु अधिनियम, जोधपुर को दिनांक 02.02.2024 से 03.02.2024 तक 02 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 04.02.2024 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री चौधरी की अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायाधीश, सी.बी.आई. केसेज, जोधपुर महानगर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, आवश्यक वस्तु अधिनियम, जोधपुर के पद पर ही की गई।

आज्ञा से



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 06.03.2024

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/16/2016/1991

दिनांक 06.03.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, आवश्यक वस्तु अधिनियम, जोधपुर को उनके पत्रांक 10 दिनांक 05.02.2024 के सन्दर्भ में ।
3. श्री विक्रम चौधरी (RJ01029), विशिष्ट न्यायाधीश, आवश्यक वस्तु अधिनियम, जोधपुर ।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, सी.बी.आई. केसेज, जोधपुर महानगर।


06/3/2024
सहायक रजिस्ट्रार